



शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर

धरमपुरा-2, जगदलपुर, जिला-बस्तर, छत्तीसगढ़, भारत पिनकोड 494001

Shaheed Mahendra Karma Vishwavidyalaya, Bastar

Dharampura-2, Jagdalpur, Dist.-Bastar, Chhattisgarh, India, Pin code 494001

Telephone 07782-229037, Fax 07782-229037 Website: www.smkvbastar.ac.in



क्रमांक / 1983 / 219 / सा.प्रशा. / श.म.क.वि.वि. / 2025

जगदलपुर, दिनांक 22 / 12 / 2025

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद की 60वीं बैठक दिनांक 29/08/2025 विषय क्रमांक-07 में "तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी (गैर शैक्षणिक लिपिकीय एवं अलिपिकीय) पदों पर भर्ती पदोन्नति विनियम, 2025 के संबंध में" छत्तीसगढ़ शासन के नियमों का पालन करते हुए तैयार किये गये संशोधित नवीन विनियम-91 तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी (गैर शैक्षणिक लिपिकीय एवं अलिपिकीय) पदों पर भर्ती पदोन्नति विनियम, 2025 को अनुमोदन किया गया है। तदनुसार संशोधित विनियम-91 को शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में लागू किया जाता है।

यह विनियम अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर

जगदलपुर, जिला-बस्तर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक / 1984 / 219 / सा.प्रशा. / श.म.क.वि.वि. / 2025

जगदलपुर, दिनांक 22 / 12 / 2025

प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर छत्तीसगढ़।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी 30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. माननीय कुलपति महोदय, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर।
5. समस्त विभाग प्रमुख/विभागाध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर।
6. अध्यक्ष/सचिव, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय कर्मचारी कल्याण संघ, जगदलपुर को सूचनार्थ।
7. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. संबंधित नस्ती/आदेश फोल्डर।

सहायक कुलसचिव (प्रशासन)

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर

जगदलपुर, जिला-बस्तर (छ.ग.)



शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर

धरमपुरा-2, जगदलपुर, जिला-बस्तर, छत्तीसगढ़, भारत पिनकोड 494001
Shaheed Mahendra Karma Vishwavidyalaya, Bastar
 Dharampura-2, Jagdalpur, Distt.-Bastar, Chhattisgarh, India, Pincode 494001
 Telephone 07782-229037, 229213 Website: www.smkvbastar.ac.in



// संशोधित विनियम-91 //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-40 एवं परिनियम-31 के प्रावधानों के अनुसार पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा निर्मित विनियम-91, जिसे छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2008 के द्वारा बस्तर विश्वविद्यालय (वर्तमान में शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर), की स्थापना के समय से यथावत लागू किया गया, को प्रतिस्थापित करते हुए कार्यपरिषद एतद् द्वारा **संशोधित विनियम-91 "शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी (गैर शैक्षणिक लिपिकीय एवं अलिपिकीय) भर्ती एवं पदोन्नति विनियम, 2025"** बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

1. यह विनियम "शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी (गैर शैक्षणिक लिपिकीय एवं अलिपिकीय) भर्ती एवं पदोन्नति विनियम, 2025" कहलाएगा।
2. यह विनियम 58वीं कार्यपरिषद की बैठक में अनुमोदन पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित किये जाने की तिथि से लागू होगा।

2. परिभाषाएँ :- इस विनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

1. सेवा से अभिप्रेत है, "शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी (गैर शैक्षणिक लिपिकीय एवं अलिपिकीय) भर्ती एवं पदोन्नति विनियम, 2025"
2. सेवा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी से अभिप्रेत है, कुलसचिव, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर।
3. विश्वविद्यालय से अभिप्रेत है, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर।
4. अधिनियम से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973।
5. परिनियम से अभिप्रेत है, परिनियम 31।
6. कार्यपरिषद से अभिप्रेत है, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर के कार्यपरिषद।
7. राज्य से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य।
8. शासन से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन।
9. राज्यपाल से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल।
10. कुलाधिपति से अभिप्रेत है, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर के कुलाधिपति।
11. कुलपति से अभिप्रेत है, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर के कुलपति।
12. समिति से अभिप्रेत है, साक्षात्कार/चयन समिति/छानबीन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार साक्षात्कार एवं चयन समिति/पदोन्नति समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग का

(Signature)

(Signature)

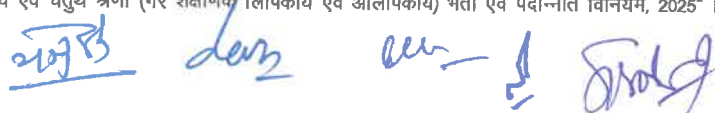
(Signature)

(Signature)

(Signature)

पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व अनिवार्य है। साक्षात्कार एवं चयन समिति/पदोन्नति/छानबीन समितियों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व किए जाने हेतु एक महिला सदस्य को रखा जाना अनिवार्य है।

13. **अनुसूची** से अभिप्रेत है, इस विनियम से संलग्न अनुसूची।
14. **परीक्षा** से अभिप्रेत है, इस विनियम के नियम 10 के अधीन सेवा में भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा।
15. **"अनुसूचित जाति"** से अभिप्रेत है, कोई जाति मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का समूह, जिसे संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।
16. **"अनुसूचित जनजाति"** से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का समूह, जिसे संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।
17. **अन्य पिछड़े वर्ग** से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग।
18. **मूल निवासी** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी।
19. **"सेवा और पद"** से अभिप्रेत है, इस कार्यालय में स्थापना की सेवायें तथा पद।
20. **"आरक्षण"** से अभिप्रेत छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के सदस्यों के लिये सेवाओं में पदों के आरक्षण से है।
21. **"रोस्टर"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों एवं अनारक्षित प्रवर्ग के लोक सेवकों की पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली समस्त स्पष्ट रिक्तियों के चालू लेखों का विहित रजिस्टर, जैसा कि विनियम के अनुसूची में उपबंधित है।
22. **"चयन सूची"** से अभिप्रेत है, ऐसे लोक सेवकों की सूची, जो संबंधित भर्ती/पदोन्नति नियमों/विनियमों में उपबंधित किए गए अनुसार अगले उच्च वेतनमान या अगले उच्च श्रेणी के पद के लिये उपयुक्त पाये जायें।
23. **"वर्ष"** से अभिप्रेत है, जनवरी के प्रथम दिन से प्रारंभ होने वाली और दिसम्बर के इक्कीसवें दिन का समाप्त होने वाली अवधि।
24. **"बैकलॉग"** से अभिप्रेत है पदोन्नति के समस्त मामलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए ऐसी आरक्षित रिक्तियाँ जो आगामी वर्ष/वर्षों में एक सुभिन्न समूह के रूप में पदोन्नति द्वारा भरी जानी है, चाहे वे किसी भी कारण से पूर्ववर्ती वर्ष या वर्षों के दौरान भरी जाना शेष रही हो।
25. **"लोक सेवक"** से अभिप्रेत है, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर में प्रचलित नियम/विनियम के अनुसार नियुक्त कर्मचारी।



भाग — एक

“शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी (गैर शैक्षणिक लिपिकीय एवं अलिपिकीय) भर्ती एवं पदोन्नति विनियम, 2025”

1. विस्तार तथा प्रयुक्ति :—

छत्तीसगढ़ सिविल (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये विनियम सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे।

2. सेवा का गठन :— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात् :—

- (1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से धारण कर रहे हों;
- (2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व से में भर्ती किये गये हों; और
- (3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।

3. वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि :—

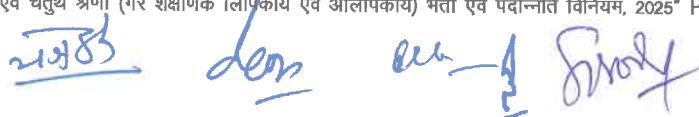
सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची—एक में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार होंगे; परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में, समय—समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा।

4. नियुक्ति के लिये पात्रता :—

भारत का नागरिक होना चाहिए एवं छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए (छत्तीसगढ़ राज्य मूल निवासी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा)।

5. भर्ती का तरीका :—

- (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—
 - (क) प्रतियोगी परीक्षा अथवा मेरिट के आधार पर चयन के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा;
 - (ख) अनुसूची—दो के कॉलम—(2) में तथा विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;
 - (ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसे सेवा में ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।
- (2) उप—नियम (1) के खण्ड (क), (ख) या (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची—एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची—एक में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।
- (3) इन नियमों के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर शासन द्वारा अवधारित की जाएगी।



- (4) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो वह, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप- नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किए गये आदेश द्वारा विहित करे।
- (5) मेरिट के आधार पर चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए मापदण्ड, शासन द्वारा विहित किये जायेंगे। तथापि, नियुक्ति प्राधिकारी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह इस प्रयोजन के लिये एक चयन समिति गठित करे, जो इन मापदण्डों से भिन्न कोई अन्य युक्तिसंगत मापदण्ड शासन की सहमति से अपना सकेगी।
- (6) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश (यथा संशोधित) लागू होंगे।

6. सेवा में नियुक्ति :-

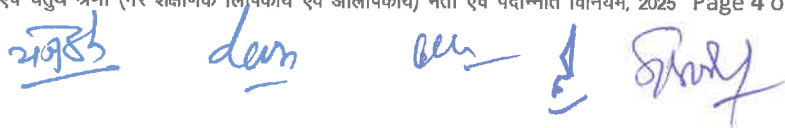
इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियाँ, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम-5 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

7. सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें :-

सीधी भर्ती/चयन हेतु पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :-

(एक) आयु -

- (क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची-दो के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।
- (ख) यदि अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमीलेयर) का हो, तो उच्चतर आयु-सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए भी, उच्चतर आयु-सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्वधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी :-
- (एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी या स्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए;



(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी/स्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु-सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :- शब्द "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ङ) ऐसा अभ्यर्थी, जो "भूतपूर्व सैनिक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु-सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :- शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 (छः) माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो, अर्थात् :-

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें -

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(तीन) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कार्मिक;

- (चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं);
- (पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;
- (छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो; (सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;
- (आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।
- (च) अस्पृश्यता निवारण नियम, के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण पति/पत्नी के सम्बन्ध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (छ) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (ज) ऐसे अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।
- (झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन-कमीशनड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु-सीमा में, 8 वर्ष की सीमा के अध्येधीन रहते हुए छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (ञ) अभ्यर्थी, जिन्हें उनके संवर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/विधवा/ तलाकशुदा इत्यादि) के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ अभिप्राप्त है, को अधिकतम आयु सीमा में उपलब्ध अतिरिक्त छूट यथावत् मिलती रहेगी; परन्तु, यह कि उपरोक्त उल्लिखित किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के अधीन छूट का लाभ प्राप्त करने के उपरांत अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (ट) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के सम्बन्ध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

टिप्पणी –

- (1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपर्युक्त नियम 7 के खण्ड (एक) के उप-खण्ड (घ) के पैरा (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे

नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएँ शिथिल नहीं की जायेंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(दो) **शैक्षणिक अर्हताएँ तथा अनुभव :-** अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये यथा विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएँ तथा अनुभव होना चाहिए, जैसा कि अनुसूची-दो के कॉलम-(5) में दर्शित हैं।

(तीन) (क) **शुल्क :-** अभ्यर्थी को शासन द्वारा यथा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।

(ख) **चिकित्सा शुल्क :-** उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होने के लिए अपेक्षित किया गया हो, चिकित्सीय परीक्षा के पूर्व चिकित्सा मण्डल के अध्यक्ष को शासन द्वारा यथा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।

8. निरर्हता :-

(1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा में/चयन हेतु उपस्थित होने हेतु निरर्हित माना जायेगा।

(2) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी; परन्तु, यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्ति नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये; परन्तु, आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जाँच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, के पश्चात्, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा; परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी

के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा, जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम निराकरण न कर दिया जाए।

- (6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

9. अभ्यर्थियों की पात्रता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा :-

- (1) परीक्षा/चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के सम्बन्ध में, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (2) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

10. प्रतियोगी परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती :-

(1) प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती -

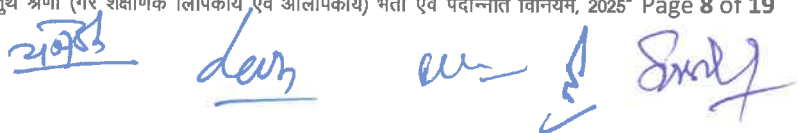
- (एक) नियुक्ति प्राधिकारी एक चयन समिति गठित करेगा, जिसमें अनुसूची - तीन के कॉलम-7 अनुसार पांच सदस्य सम्मिलित होंगे।
- (दो) सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अंतरालों पर आयोजित की जाएगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, शासन की अनुमति पश्चात् कार्यपरिषद के परामर्श से, समय-समय पर अवधारित करे।
- (तीन) परीक्षा, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार चयन समिति द्वारा आयोजित की जाएगी।

(2) चयन द्वारा सीधी भर्ती -

- (एक) सेवा में अभ्यर्थियों का चयन ऐसे अंतरालों पर किया जायेगा, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये।
- (दो) सेवा में अभ्यर्थियों का चयन, चयन समिति द्वारा किया जायेगा।
- (तीन) चयन समिति का गठन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समुचित समय अंतरालों पर किया जायेगा।

- (3) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

- (4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थियों, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम-11

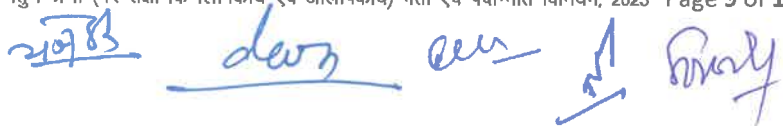


में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

- (5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमीलेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति के लिये पात्र घोषित किया गया हो, को उप-नियम (3) के अनुसार, यथास्थिति; अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति किया जा सकेगा।
- (6) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, 30 प्रतिशत पदों को महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखा जायेगा।
- (7) ऐसे मामलों में, जहाँ सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाये कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमीलेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो नियुक्ति प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।
- (8) उपरोक्त के अतिरिक्त, निःशक्त व्यक्ति तथा भूतपूर्व सैनिक के लिये पदों को शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश के अनुसार आरक्षण रखा जायेगा।

11. समिति द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची :-

- (1) समिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हो, जैसा कि चयन समिति द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमीलेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों, जो यद्यपि उस स्तर में अर्हित नहीं हैं, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों, की एक सूची तैयार करेगी तथा उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी। इस प्रकार तैयार की गई सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जाएगी।
- (2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।
- (3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिये कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी



का ऐसी जाँच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

- (4) सूची, समिति द्वारा उसके जारी करने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक विधिमान्य रहेगी।

12. पदक्रम सूची :-

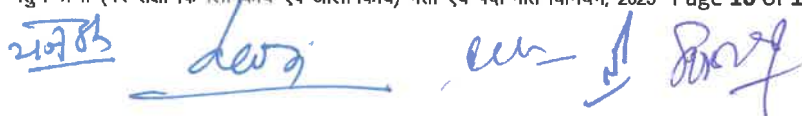
प्रत्येक सेवा के लिये एक पदक्रम सूची रखी जायेगी जिसमें उस सेवा में सम्मिलित पद धारण करने वाले शासकीय कर्मचारी का नाम उनकी वरिष्ठता के क्रम में लिखे जायेंगे।

परन्तु यदि सेवा में पदों की दो या अधिक भिन्न-भिन्न शाखाएँ या समूह हो और साधारणतः एक शाखा से दूसरी शाखा में या एक पद समूह से दूसरे पद समूह में स्थानान्तरण न किया जाता हो, तो ऐसी सेवा की शाखा या पद समूह के लिये पृथक पदक्रम सूची रखी जायेगी।

13. परीक्षा :-

- (1) किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को, प्रथमतः 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जायेगा। (छत्तीसगढ़ राजपत्र असाधारण क्रमांक 331 दिनांक 28 जुलाई 2020 में प्रकाशित सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2017/1/3.-द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 के उप नियम (1) में किये गये संशोधन अनुसार)
- (ख) यदि कार्य असंतोषजनक पाया जाता है, तो परीक्षा की अवधि अधिकतम 1 वर्ष तक की कालावधि के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बढ़ायी जा सकेगी।
- (ग) परीक्षा की अवधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परीक्षा अवधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय हो कि कोई विशेष अभ्यर्थी, कर्मचारी बनने के योग्य नहीं है, तो ऐसे परीक्षाधीन की सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) सेवा में पदोन्नति द्वारा भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 वर्ष की कालावधि के लिये स्थानापन्न हैसियत से नियुक्त किया जायेगा।

14. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर किये गये संशोधन/निरसन स्वतः लागू होंगे, परन्तु कार्यपरिषद को सूचना दी जावेगी।



भाग – दो

“शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर गैर शैक्षणिक (तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी, लिपिकीय एवं अलिपिकीय) सेवा के पदों पर पदोन्नति”

1. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :-

- (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए, एक विभागीय पदोन्नति समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची-तीन के कॉलम 7 में उल्लिखित सदस्य सम्मिलित होंगे; परन्तु इस उप-नियम के अधीन, समिति के गठन के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंधों भी लागू होंगे।
- (2) समिति की बैठक ऐसे अंतरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक की न हो।
- (3) पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अध्यक्षीन रहते हुए इस विनियम के अनुसार होगी।
- (4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, उप-नियम (3) तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी। (नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों का पालन किया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा-6 की उप-धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।

2. पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तें :-

- (1) उप-नियम (2) के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में, जिनसे पदोन्नति की जानी है अथवा शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में), उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची-तीन के कॉलम (6) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप-नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण :- सम्बन्धित वर्ष, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

- (2) पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए इस विनियम के अनुसार होगी।
- (3) पदोन्नति, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश के अनुसार तथा मॉडल रोस्टर के अनुसार की जाएगी।

3. उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना :-

- (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो इस विनियम एवं अनुसूची-तीन में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, सूची के तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्त तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी।
- (2) ऐसी सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु चयन, मेरिट तथा सभी संदर्भों उपयुक्तता (वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता) पर आधारित होगी।
- (3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अनुसार चयन सूची तैयार किये जाने के समय, सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम, अनुसूची-तीन के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे।

स्पष्टीकरण :- ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर, जिन पर पश्चात्पूर्ति चयन में विचार किया गया है, वरिष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

4. चयन सूची :-

- (1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची, अनुसूची-तीन के कॉलम (5) में उल्लिखित पदों से उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में यथा उल्लिखित पदों पर, सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए अनुमोदित चयन सूची होगी।
- (2) चयन सूची सामान्यतः इसके तैयार किये जाने की तारीख से कैलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर तक विधिमान्य रहेगी; परन्तु, चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण अथवा कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

5. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति :-

- (1) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारी की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्ति में उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा, जिस क्रम में ऐसे कर्मचारी के नाम, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार चयन सूची में आये हों।
- (2) साधारणतः उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किए जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति

की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो।

6. पदोन्नति हेतु आधार का अवधारण :-

पदोन्नति हेतु आधार का अवधारण विश्वविद्यालय द्वारा इस विनियम के अंतर्गत अनुसूची-तीन के कॉलम-7 अनुसार गठित पदोन्नति समिति की अनुसंशा पर कुलसचिव एवं कुलपति द्वारा निर्धारित किया जायेगा। चतुर्थ श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी के उच्च वेतनमान में, चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी से तृतीय श्रेणी के उच्च वेतनमान में, तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नति हेतु छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार "वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता" के आधार पर की जाएगी।

7. पदोन्नति में आरक्षण :-

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिये पदोन्नति में आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी एवं राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार होगा।

8. "वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता" के आधार पर पदोन्नति :-

- (1) ऐसे मामले में, जहां पदोन्नति, वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर की जानी हो वहाँ सभी प्रवर्ग के लिये कोई विचारण क्षेत्र नहीं होगा।
- (2) पदोन्नति के लिए केवल ऐसे लोक सेवकों के नामों पर विचार किया जायेगा, जिन्होंने भर्ती नियमों के अनुसार फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में विहित अर्हकारी सेवा पूरी कर ली हो। तथापि उन समस्त लोक सेवकों के नामों पर विचार किया जाना आवश्यक नहीं होगा, जिन्होंने विहित न्यूनतम सेवा अवधि पूर्ण कर ली हो, परन्तु केवल उतनी ही संख्या में लोक सेवकों के मामलों पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जायेगा, जो प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति के कारण प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या को भरने के लिए पर्याप्त होगी। इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 5 प्रतिशत जो भी अधिक हो, के नाम चयन सूची में सम्मिलित करने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नामों पर विचार किया जाएगा।

स्पष्टीकरण — पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति — संबंधित वर्ष की, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति आहूत की जाती है, प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कैलेंडर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद में वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

- (3) वर्ष, अर्थात् 01 जनवरी से 31 दिसम्बर के दौरान पदोन्नति के लिए रिक्तियों की संख्या की गणना विद्यमान तथा सेवानिवृत्ति एवं उच्चतर संवर्ग/सेवा के

अज्ञेय

das

an

1

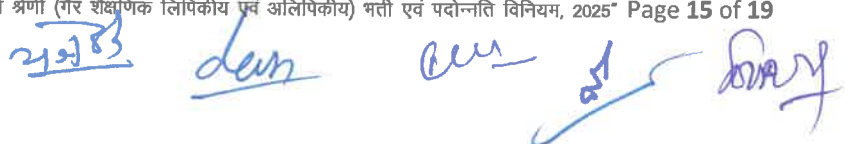
अज्ञेय

भाग/पदों के उच्चतर वेतनमान में पदोन्नति के कारण प्रत्याशित रिक्तियों को ध्यान में रखकर की जाएगी। एक वर्ष से अधिक अवधि की प्रतिनियुक्ति से उद्भूत होने वाली रिक्तियों को भी इसमें शामिल किया जावेगा। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोक सेवकों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या की गणना उस रोस्टर के आधार पर की जाएगी, जिसे इस विनियम के कंडिका-2 के उपनियम-3 के उपबंधों के अनुसार बनाए रखा जाना अपेक्षित है।

- (4) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक प्रतिवर्ष आयोजित की जाएगी। यह सबसे पूर्व के वर्ष से प्रारंभ करते हुए आगे प्रत्येक वर्ष की रिक्तियों के संबंध में पृथक से पदोन्नति के लिए लोक सेवकों की उपयुक्तता पर विचार करेगी। विभागीय पदोन्नति समिति पृथक से पूर्व के वर्ष या वर्षों की बिना भरी रिक्तियों को भरने के लिए पदोन्नति हेतु लोक सेवकों की उपयुक्तता पर विचार करेगी और संबंधित वर्ष के लिए तदनुसार चयन सूची तैयार करेगी। तत्पश्चात विभागीय पदोन्नति समिति चालू वर्ष की विद्यमान एवं प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पदोन्नति हेतु लोक सेवकों की उपयुक्तता पर विचार करेगी।
- (5) विभागीय पदोन्नति समिति, लोक सेवकों की पदोन्नति के लिए उनके सेवा अभिलेख के आधार पर एवं पूर्ववर्ती 05 वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों, जहाँ अपेक्षित अर्हकारी सेवा पाँच वर्ष है, के विशेष संदर्भ में उनकी उपयुक्तता का निर्धारण करेगी। तथापि उन मामलों में, जहाँ अपेक्षित अर्हकारी सेवा पाँच वर्ष से अधिक है, विभागीय पदोन्नति समिति, अपेक्षित अर्हकारी सेवा के बराबर वार्षिक प्रतिवेदनों के विशेष संदर्भ में अभिलेख देखेगी।
- (6) जब संबंधित अवधि के एक अथवा एक से अधिक वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन किसी कारण से उपलब्ध नहीं हो तो विभागीय पदोन्नति समिति, विचाराधीन अवधि के पूर्ववर्ती वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों पर विचार करेगी।
- (7) इस पद्धति से पदों को भरने के लिए, विभागीय पदोन्नति, प्रत्येक लोक सेवक के मामलों पर उसकी स्वयं की योग्यता के आधार पर पृथक-पृथक विचार करेगी, अर्थात् लोक सेवकों की योग्यताओं का कोई तुलनात्मक निर्धारण करना आवश्यक नहीं होगा। विभागीय पदोन्नति समिति प्रत्येक लोक सेवक के अभिलेखों पर पृथक-पृथक विचार करेगी तथा उन्हें "उपयुक्त" अथवा "अनुपयुक्त" के रूप में वर्गीकृत करेगी।
- (8) अनारक्षित प्रवर्ग, अनुसूचित जाति प्रवर्ग और अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लोक सेवकों के लिये पृथक-पृथक चयन सूचियाँ तैयार की जायेगी, जिसमें ऐसे अनारक्षित प्रवर्ग, अनुसूचित जाति प्रवर्ग तथा अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लोक सेवकों के उतनी संख्या में नाम सम्मिलित किये जायेंगे, जो इन प्रवर्गों में से प्रत्येक के लिये आरक्षित पदों की संख्या के बराबर हो। इसके अतिरिक्त दो लोक सेवकों के अथवा चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25

(पच्चीस) प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के नाम भी, उपनियम (2) में यथाविहित प्रत्येक प्रवर्ग की चयन सूची में सम्मिलित किये जायेंगे।

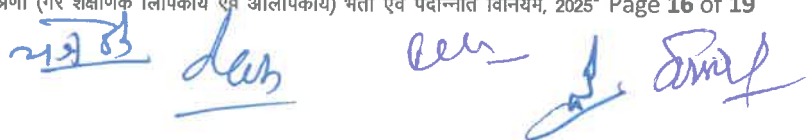
- (9) प्रत्येक सूची में सम्मिलित किये गये लोक सेवकों के नाम उनकी वरिष्ठता के उसी क्रम में रखे जायेंगे जिस क्रम में वे उस संवर्ग/सेवा के भाग/उस पर के वेतनमान में विद्यमान है, जिससे कि उनकी पदोन्नति की जानी है।
- (10) इन पृथक-पृथक चयन सूचियों से लोक सेवकों की पदोन्नति फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में उनकी वरिष्ठता के अनुसार तथा रोस्टर में दर्शाये गये विहित क्रम के अनुसार की जाएगी।
- (11) तीनों प्रवर्गों के लोक सेवकों की उस संवर्ग/सेवा/सेवा के भाग/उस पद के, जिस पद पर पदोन्नति की जानी है, वेतनमान में पारस्परिक वरिष्ठता अवधारित करने के लिए उपरोक्त तीनों प्रवर्गों के लोक सेवकों की एक संयुक्त चयन सूची उसी क्रम में तैयार की जाएगी जिस क्रम में कि उनका नाम, उस संवर्ग/सेवा के भाग/उस पद के, जिससे कि पदोन्नति की जा रही हो, वेतनमान की वरिष्ठता सूची में हो।
- (12) उपयुक्त चयन सूची के आधार पर पदोन्नत लोक सेवकों के नाम, ठीक इसके पूर्ववर्ती वर्ष की संयुक्त चयन सूची के आधार पर पदोन्नत अंतिम लोक सेवक के नाम के नीचे एक साथ एनब्लाक रखे जाएंगे।
- (13) जो आरक्षित पद भरती नियमों/विनियमों के अनुसार विचार किये जाने की पात्रता रखने वाले समस्त लोक सेवकों के नामों पर विचार कर लेने के बावजूद उस प्रवर्ग के उपयुक्त लोक सेवकों के जिनके लिये पद आरक्षित हैं, उपलब्ध न होने के कारण भरे जाने से रह जाये तो ऐसा पद तब तक अग्रणीत किये जायेंगे, अर्थात् रिक्त रखे जायेंगे, जब तक कि उस आरक्षित प्रवर्ग का उपयुक्त लोक सेवक उपलब्ध न हो जाये। किसी भी परिस्थिति में आरक्षित प्रवर्ग की किसी रिक्ति को किसी अन्य प्रवर्ग के लोक सेवक की पदोन्नति द्वारा नहीं भरा जायेगा।
- (14) जब कभी पदोन्नति के समस्त मामलों में पूर्ववर्ती वर्ष या वर्षों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित रिक्तियों बिना भरी रह गयी हो, तब बैकलॉग और/या अग्रणीत रिक्तियाँ, पृथक तथा सुभिन्न समूह के रूप में मानी जाएगी और उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या पर पचास प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा का अवधारण करने के लिए उस वर्ष की आरक्षित रिक्तियों के साथ नहीं मानी जाएगी, जिसमें वे रिक्तियाँ भरी जा रही हैं। दूसरे शब्दों में, आरक्षित रिक्तियों का भरने पर पचास प्रतिशत की अधिकतम सीमा केवल उन्हीं आरक्षित रिक्तियों पर लागू होंगी जो चालू वर्ष में उद्भूत हो और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिये पूर्ववर्ती वर्ष या वर्षों की बैकलॉग/अग्रणीत आरक्षित रिक्तियाँ पृथक तथा सुभिन्न समूह के रूप में मानी जाएगी और पचास प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अध्ययीन नहीं होंगी।



परंतु नियुक्ति प्राधिकारी, बैकलॉग की रिक्तियां भरने के लिए छह मास के भीतर विभागीय पदोन्नति समिति की विशेष बैठक आहूत करेगा और यदि ऐसी रिक्तियां बिना भरी रही जाती हैं तो उन्हें उस प्रवर्ग, जिसके लिए पद या पदों को आरक्षित किया गया है, से भिन्न लोक सेवकों द्वारा भरे जाने के लिए किसी भी रीति में अनारक्षित नहीं किया जायेगा। जिस प्रवर्ग के लिये पद अथवा रोस्टर का बिन्दु आरक्षित है, उस प्रवर्ग का लोक सेवा उपलब्ध न हो, तथा पदोन्नति हेतु वरिष्ठता तथा अपनाये गये मापदण्ड के अनुसार, अनारक्षित/सामान्य प्रवर्ग को लोक सेवक अथवा आरक्षित अन्य प्रवर्ग का लोक सेवक पदोन्नति के लिये उपलब्ध हैं तथा पदोन्नति के योग्य हैं, तथा अनारक्षित/सामान्य अथवा आरक्षित अन्य प्रवर्ग के ऐसे लोक सेवक की सेवानिवृत्ति के तारीख के पहले, जिस प्रवर्ग के लिए पद अथवा रोस्टर का बिन्दु आरक्षित है, उस प्रवर्ग से फीडर कैडर या पद में लोक सेवक उपलब्ध न हो रहा हो, तो जो उपलब्ध है तथा पदोन्नति के योग्य है, ऐसे उपलब्ध लोक सेवक को पदोन्नति दी जायेगी।

- (15) जब कोई ऐसा लोक सेवक, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित है, पदोन्नति से इंकार करना चाहता है, तो वह लिखित अनुरोध कर सकेगा कि उसे पदोन्नत नहीं किया जाए। सुसंगत बातों पर विचार करके ऐसे अनुरोध पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विचार किया जायेगा। यदि पदोन्नति से इंकार के लिए प्रस्तुत किए गए कारण नियुक्ति प्राधिकारी को स्वीकार्य है, तो चयन सूची में से अगले लोक सेवक को पदोन्नति किया जा सकेगा। तथापि ऐसे प्रत्येक अवसर पर जिस पर पैनल की विधिमान्यता की अवधि के दौरान कोई रिक्ति उद्भूत होती है, ऐसे लोक सेवकों को, जो पदोन्नति से प्रारंभिक रूप से इंकार कर चुके हों, नियुक्ति प्रस्तावित करना प्रशासनिक रूप से संभव या वांछनीय नहीं हो, ऐसे मामलों में प्रथम पदोन्नति से इंकार करने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए या अगली रिक्ति के उद्भूत होने तक, जो भी पश्चात्पूर्ती हो, पदोन्नति पर नियुक्ति का कोई नया प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा। उच्च संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में परिणामिक पदोन्नति पर, ऐसा लोक सेवक उच्च संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान पर पूर्ववर्ती वर्ष में पदोन्नत किए गए उसके कनिष्ठ की तुलना में वरिष्ठता से वंचित हो जाएगा,

उन मामलों में, जहां किसी लोक सेवक द्वारा पदोन्नति के लिए उससे इंकार के लिए प्रस्तुत किए गए कारण नियुक्ति प्राधिकारी की स्वीकार्य नहीं हो, वहां वह लोक सेवक को पदोन्नति स्वीकार करने के लिए बाध्य करेगा और उस दशा में, जब लोक सेवक पदोन्नत किए जाने के लिए तक भी इंकार करता है, तब उसके आदेश का पालन करने से इंकार के लिये उसके विरुद्ध अनुशासिक कार्यवाही भी जा सकेगी।



9. वार्षिक गोपनीय चरित्रावली का मूल्यांकन :-

पदोन्नति हेतु विचरण क्षेत्र में लिए गये कर्मचारियों को उनकी वार्षिक गोपनीय चरित्रावली में प्राप्त अंकों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जावेगा :-

क्रमांक	मतांकन	अंक
01	क+ (उत्कृष्ट)	04
02	क (बहुत अच्छा)	03
03	ख (अच्छा)	02
04	ग (औसत)	01
05	घ (घटिया)	00

10. मूल्यांकन के मानकों को कम करना :-

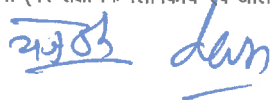
सरकार, आदेश द्वारा, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लोक सेवकों के पक्ष में, विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से सम्बद्ध सेवाओं या पदों की किसी श्रेणी या श्रेणियों पर पदोन्नति के मामले में मूल्यांकन के मानकों को कम करने का उपबंध कर सकेगी। तथापि विश्वविद्यालय प्रशासन कार्यपरिषद की अनुसंशा पश्चात इस संबंध में उचित आदेश प्राप्त करने हेतु शासन से अनुरोध कर सकेगा। शासन से अनुमति पश्चात ही विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जा सकेगी।

11. रोस्टर :-

- (एक) प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सदैव, पदोन्नति से भरे जाने वाले संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान के संबंध में, इन नियमों से संलग्न अनुसूचित जाति प्रवर्ग की बैकलॉग की रिक्तियों के लिये अनुसूची-I में अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग की बैकलॉग की रिक्तियों के लिये अनुसूची-I में अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग की बैकलॉग की रिक्तियों के लिये अनुसूची-II में और सुसंगत वर्ष की विद्यमान रिक्तियों के लिये अनुसूची-III में दर्शाये अनुसार विहित प्रारूप में रोस्टर संधारित किया जायेगा। प्रत्येक ऐसे संवर्ग/सेवा का भाग/पद के वेतनमान के लिये पृथक-पृथक रोस्टर संधारित किये जायेंगे।
- (दो) कोई पदोन्नति करने के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी सदैव, रोस्टर से सुनिश्चित करेगा कि रिक्ति आरक्षित है अथवा अनारक्षित है और यदि आरक्षित तो यह किसके लिये आरक्षित है। पदोन्नति के तत्काल पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा रोस्टर में उसकी विशिष्टियों की प्रविष्टि की जाएगी तथा हस्ताक्षर किए जायेंगे।
- (तीन) रोस्टर वर्षानुवर्ष का एक चालू लेखा है तथा तदनुसार संधारित किया जायेगा। यदि पदोन्नति किसी विशिष्ट वर्ष में चक्र के किसी विशिष्ट बिन्दु पर रुकती है, तथा 5वें बिन्दु पर, तो पश्चात्वर्ती वर्ष में पदोन्नति अगले बिन्दु यथा 6वें बिन्दु से प्रारंभ होगी।

12. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण

प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी, उसके द्वारा जारी किये जाने वाले पदोन्नति आदेश पर इस आशय का एक प्रमाण पत्र पृष्ठांकित करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा





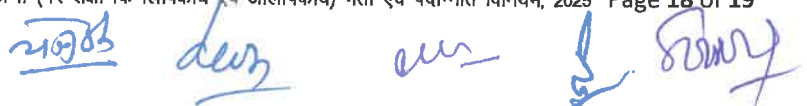
(अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा इस विनियम के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों/विनियम के उपबंधों के प्रकाश में शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा 06 की उपधारा (I) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

13. पदोन्नति/छानबीन समिति में प्रतिनिधित्व :-

यदि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के संबंध में पदोन्नति/छानबीन समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्यों को छोड़कर नामनिर्दिष्ट सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, तो उसी स्तर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा पिछड़े वर्ग के प्रत्येक प्रवर्ग से पृथक-पृथक एक-एक सदस्य पदोन्नति/छानबीन समिति में सम्मिलित किया जायेगा और पदोन्नति/छानबीन समिति के सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जायेगी।

14. पदोन्नति हेतु निर्धारित सेवा अवधि :-

विश्वविद्यालय कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु निर्धारित सेवा अवधि संलग्न अनुसूची-3 के कॉलम (6) में दर्शित अनुसार होगी, किन्तु पद रिक्त रहने की स्थिति में विश्वविद्यालय के अधीन संचालित विभिन्न गतिविधियों के सुचारु संचालन हेतु निर्धारित सेवा अवधि को कार्यपरिषद द्वारा शिथिल किया जा सकेगा।



1. इस विनियम के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त/पदोन्नत शासकीय सेवक छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-40 अनुसार निर्मित परिनियम-31, तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों से शासित होंगे।
2. **निर्वचन संबंधी कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति :-**
यदि इन नियमों के प्रवर्तन के संबंध में कोई कठिनाई उद्भूत हो तो उसे विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि इस विनियम के प्रावधानों के संबंध में कार्यपरिषद की अनुसंशा पर शासन से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकेगा।
3. **विनियमों में संशोधन एवं शिथिल करने की शक्ति :-**
इस विनियम में संशोधन एवं शिथिल करने की शक्तियाँ विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद को होगी, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि इस संबंध में कार्यपरिषद की अनुसंशा पर शासन से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकेगा। इस विनियम में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा, कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की कुलपति अथवा कार्यपरिषद की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है; परन्तु, मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा, जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो।
4. **निरसन एवं व्यावृत्ति :-**
 - (1) इस विनियम के तत्स्थानी और इसके प्रारंभ होने के पूर्व प्रवृत्त विनियम-91 और अनुदेश, जो कि इन विनियमों के प्रारंभ होने की ठीक पूर्व प्रवृत्त है तथा जो उन लोक सेवकों को लागू हों, जिन्हें ये विनियम लागू होंगे, इस विनियम के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद् द्वारा निरस्त किये जाते हैं। परन्तु, इस प्रकार निरसित विनियम-91 के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही, इस विनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।
 - (2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंधित अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।
5. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर किये गये संशोधन/निरसन स्वतः लागू होंगे, परन्तु कार्यपरिषद को सूचना दी जावेगी।

“अनुसूची-एक”

शासन द्वारा बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में स्वीकृत गैर शैक्षणिक तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों का विवरण (कक्ष अधिकारी के पद को पदोन्नति का पद निर्धारित किये जाने के कारण इस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है।)

क्र.	स्वीकृत पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	6वां पुनरीक्षित वेतनमान अनुसार		पद की श्रेणी	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत		
			वेतनमान + ग्रेड पे			सीधी भर्ती	पदोन्नति	प्रतिनियुक्ति/अन्य सेवा
1	2	3	4	5		6	7	8
1	कक्ष अधिकारी	4	9300-34800+4400/लेवल-10	द्वितीय श्रेणी		—	100	—
2	सहायक प्रोग्रामर	1	9300-34800+4300/लेवल-9	तृतीय श्रेणी		100	—	—
3	कुलपति के निज सहायक	1	9300-38800+4300/लेवल-9	तृतीय श्रेणी		—	100	—
4	वरिष्ठ अधीक्षक/कार्यालय अधीक्षक	4	9300-34800+4300/लेवल-9	तृतीय श्रेणी		—	100	—
5	कार्यालय प्रबंधक	2	9300-34800+4300/लेवल-9	तृतीय श्रेणी		—	100	—
6	तकनीकी सहायक	2	9300-34800+4300/लेवल-9	तृतीय श्रेणी		100	—	—
7	कनिष्ठ अधीक्षक	2	9300-34800+4200/लेवल-8	तृतीय श्रेणी		—	100	—
8	अनुसंधान सहायक/रिसर्च असिस्टेंट	17	9300-34800+4200/लेवल-8	तृतीय श्रेणी		100	—	—
9	आई.टी.कार्यकारी/अनुरक्षण स्टॉफ	1	5200-20200+4200/लेवल-8	तृतीय श्रेणी		100	—	—
11	संगीत शिक्षक	1	5200-20200+4200/लेवल-8	तृतीय श्रेणी		100	—	—
12	स्टेनोग्राफर/स्टेनोग्राफर वर्ग-3	3	5200-20200+2800/लेवल-7	तृतीय श्रेणी		75	25	—
13	सांख्यिकीय सहायक	1	5200-20200+2800/लेवल-7	तृतीय श्रेणी		100	—	—
14	सहायक ग्रेड-1	7	5200-20200+2800/लेवल-7	तृतीय श्रेणी		—	100	—
15	तकनीकी सहायक	3	5200-20200+2800/लेवल-7	तृतीय श्रेणी		100	—	—
16	प्रयोगशाला समन्वयक	1	5200-20200+2800/लेवल-7	तृतीय श्रेणी		—	100	—
17	पुस्तकालय सहायक	1	5200-20200+2800/लेवल-7	तृतीय श्रेणी		—	100	—
18	सहायक ग्रेड-2	10	5200-20200+2400/लेवल-6	तृतीय श्रेणी		—	100	—
19	डाटा एण्ट्री आपरेटर	6	5200-20200+2400/लेवल-6	तृतीय श्रेणी		100	—	—

अनुसूची एक

क्र.	स्वीकृत पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	6वां पुनरीक्षित वेतनमान अनुसार		पद की श्रेणी	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत		
			वेतनमान + ग्रेड पे			सीधी भर्ती	पदोन्नति	प्रतिनियुक्ति/अन्य सेवा
1	2	3	4	5		6	7	8
20	लैब टेकनीशियन/प्रयोगशाला तकनीशियन	19	5200-20200+2400/लेवल-6	तृतीय श्रेणी		100	-	-
21	पुस्तकालय सहायक/संसाधन केन्द्र समन्वयक	1	5200-20200+2400/लेवल-6	तृतीय श्रेणी		-	100	-
22	लेखा सहायक	4	5200-20200+2400/लेवल-6	तृतीय श्रेणी		100	-	-
23	स्टेनो टाइपिस्ट	1	5200-20200+1900/लेवल-4	तृतीय श्रेणी		100	-	-
24	सहायक ग्रेड-3	45	5200-20200+1900/लेवल-4	तृतीय श्रेणी		75	25 (चतुर्थ श्रेणी से)	-
25	स्टोर कीपर	3	5200-20200+1900/लेवल-4	तृतीय श्रेणी		100	-	-
26	वाहन चालक	6	5200-20200+1900/लेवल-4	तृतीय श्रेणी		100	-	-
27	सहायक ग्रेड-3 NSS	1	5200-20200+1900/लेवल-4	तृतीय श्रेणी		100	-	संविदा
28	प्रयोगशाला सहायक	2	5200-20200+1900/लेवल-4	तृतीय श्रेणी		100	-	-
29	ग्रंथालय सहायक	1	5200-20200+1900/लेवल-4	तृतीय श्रेणी		100	-	-
30	ग्राउन्ड मेन	4	5200-20200+1900/लेवल-4	तृतीय श्रेणी		100	-	-
31	लैब अटेंडेन्ट/प्रयोगशाला परिचारक	32	4750-7440-1800/लेवल-3	चुतर्थ श्रेणी		100	-	-
32	बुक लिप्टर	1	4750-7440-1300/लेवल-1	चुतर्थ श्रेणी		100	-	-
33	ग्राउन्ड मेन	1	4750-7440-1300/लेवल-1	चुतर्थ श्रेणी		100	-	-
34	पम्प अटेंडेन्ट	1	4750-7440-1300/लेवल-1	चुतर्थ श्रेणी		100	-	-
35	माली	2	4750-7440-1300/लेवल-1	चुतर्थ श्रेणी		100	-	-
36	भृत्य	50	4750-7440-1300/लेवल-1	चुतर्थ श्रेणी		100	-	-
37	स्वीपर/फर्गस/जमादार	22	4750-7440-1300/लेवल-1	चुतर्थ श्रेणी		100	-	-

अर्जित लेन
विवरण

क्र.	स्वीकृत पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	6वां पुनरीक्षित वेतनमान अनुसार	पद की श्रेणी	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत		
			वेतनमान + ग्रेड पे		सीधी भर्ती	पदोन्नति	प्रतिनियुक्ति/अन्य सेवा
1	2	3	4	5	6	7	8
38	चौकीदार	23	4750-7440-1300 / लेवल-1	चुतर्ध श्रेणी	100	-	-
39	प्रयोगशाला परिचारक	3	4750-7440-1300 / लेवल-1	चुतर्ध श्रेणी	100	-	-
40	भृत्य NSS	1	4750-7440-1300 / लेवल-1	-	100	-	सविदा
41	वाहन चालक	1	आकस्मिक निधि	-	100	-	आकस्मिक स्था.
42	भृत्य	2	आकस्मिक निधि	-	100	-	आकस्मिक स्था.
43	हेल्पर	2	4750-7440-1300 / लेवल-1	-	100	-	-
	कुल पद	295					

न्यायाधीश

देव

परिचारक

देव

“अनुसूची-दो”

सं.क्र.	सेवा/पद का नाम	आयु	
		न्यूनतम	अधिकतम
1	2	3	4
1	सहायक प्रोग्रामर	20	35
(1) बी.ई. कम्प्यूटर साईंस अथवा सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) बी.टेक. प्रथम श्रेणी के साथ या कुल मिलाकर 60 प्रतिशत अंक समतुल्य श्रेणी, अथवा (2) एम.सी.ए./एम.सी.एस.सी. कम्प्यूटर साईंस/सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) स्नातकोत्तर डिग्री प्रथम श्रेणी के साथ या कुल मिलाकर कम से कम 60 प्रतिशत या समतुल्य श्रेणी, अथवा (3) बी.सी.ए./बी.एस.सी. कम्प्यूटर साईंस/सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) में स्नातक डिग्री के साथ या कुल मिलाकर कम से कम 65 प्रतिशत अंक या समतुल्य श्रेणी। (4) हिन्दी/अंग्रेजी कम्प्यूटर टायपिंग में 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी।)			
2	तकनीकी सहायक (सांख्यिकी अध्ययनशाला, मनोविज्ञान अध्ययनशाला)	20	35
संबंधित अध्ययनशाला में संचालित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि एवं संबंधित विषय में समकक्ष पद पर निरंतर कार्य करने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव।			
3	अनुसंधान सहायक/रिसर्च असिस्टेंट	20	35
संबंधित अध्ययनशाला में संचालित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि एवं संबंधित विषय में समकक्ष पद पर निरंतर कार्य करने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव।			
4	सांख्यिकीय सहायक	20	35
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी विषय में कम से कम एम.ए./एम.एस.-सी. द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण।			
5	तकनीकी सहायक (कम्प्यूटर अनुप्रयोग अध्ययनशाला, शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला)	20	35
संबंधित अध्ययनशाला में संचालित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।			
6	आई.टी.कार्यकारी/अनुसंधान स्टाफ	20	35
(1) बी.ई. कम्प्यूटर साईंस अथवा सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) बी.टेक. प्रथम श्रेणी के साथ या कुल मिलाकर 60 प्रतिशत अंक समतुल्य श्रेणी, अथवा (2) एम.सी.ए./एम.सी.एस.सी. कम्प्यूटर साईंस/सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) स्नातकोत्तर डिग्री प्रथम श्रेणी के साथ या कुल मिलाकर कम से कम 60 प्रतिशत या समतुल्य श्रेणी, अथवा (3) बी.सी.ए./बी.एस.सी. कम्प्यूटर साईंस/सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) में स्नातक डिग्री के साथ या कुल मिलाकर कम से कम 65 प्रतिशत अंक या समतुल्य श्रेणी। (4) हिन्दी/अंग्रेजी कम्प्यूटर टायपिंग में 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी।)			

अनुसूची

दस्तावेज

हस्ताक्षर

सं.क्र.	सेवा/पद का नाम	आयु			सीधी मर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/तकनीकी अर्हताएं (शासन से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/मण्डल/परिषद/संस्थान से उपाधि/प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे)
		न्यूनतम	अधिकतम		
1	2	3	4	5	
7	ICT अनुदेशक	20	35		(1) बी.ई. कम्प्यूटर साईंस अथवा सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) बी.टेक. प्रथम श्रेणी के साथ या कुल मिलाकर 60 प्रतिशत अंक समतुल्य श्रेणी. अथवा (2) एम.सी.ए./एम.सी.एम./एम.एस.सी. कम्प्यूटर साईंस/सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) स्नातकोत्तर डिग्री प्रथम श्रेणी के साथ या कुल मिलाकर कम से कम 60 प्रतिशत या समतुल्य श्रेणी. अथवा (3) बी.सी.ए./बी.एस.सी. कम्प्यूटर साईंस/सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) में स्नातक डिग्री के साथ या कुल मिलाकर कम से कम 65 प्रतिशत अंक या समतुल्य श्रेणी। (4) हिन्दी/अंग्रेजी कम्प्यूटर टायपिंग में 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी।)
8	संगीत शिक्षक	20	35		(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50 प्रतिशत अंकों के साथ सीनियर सेकेण्डरी/हायर सेकेण्डरी/इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं)। एवं (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से संगीत/प्रदर्शन कला में स्नातक की डिग्री बशर्ते कि डिग्री के सभी वर्षों में संगीत विषय को मुख्य विषय के रूप में अध्ययन किया गया हो। किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या शैक्षणिक संस्थान में संगीत शिक्षक के रूप में न्यूनतम दो वर्ष का शिक्षण अनुभव। (3) हिन्दी एवं अंग्रेजी का कार्यसाधक ज्ञान। नोट:- संगीत में डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवार इस पद के लिए पात्र नहीं हैं। (4) कम्प्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान।
9	लैब टेक्नीशियन/प्रयोगशाला तकनीशियन	20	35		संबंधित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा संबंधित विषय में स्नातक उपाधि एवं लैब अटेंडेन्ट के पद पर निरंतर कार्य करने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव/प्रयोगशाला परियारक के पद पर निरंतर कार्य करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव।

अमर देव शर्मा

सं.क्र.	सेवा/पद का नाम	आयु		5	सीधी मर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/तकनीकी अर्हताएं (शासन से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/मण्डल/परिषद/संस्थान से उपाधि/प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे)
		न्यूनतम	अधिकतम		
1	2	3	4	5	
10	स्टेनोग्राफर/स्टेनोग्राफर वर्ग-3	18	35		(1) मान्यता प्राप्त मण्डल से 12वीं (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था/शीघ्रलेखन (शार्टहैंड) मुद्रलेखन परिषद से - (क) शीघ्रलेखक हिन्दी के लिए - हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैंड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैंड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)। (ख) शीघ्रलेखक अंग्रेजी के लिए - अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैंड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैंड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)। (ख) द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिए - उपर खण्ड क एवं ख में विनिर्दिष्ट अनुसार हिन्दी एवं अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैंड) पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैंड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)। (3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा डाटा एन्ट्री की 10,000 की-डिप्रेशन प्रतिघटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)। (1. मान्यता प्राप्त आईटीआई. से कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्राम असिस्टेंट व्यवसाय में एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट टेक्नालॉजी/मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा (2 वर्ष का अन्तर्गत) 3. वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डिस्ट यूनिवर्सिटी/इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय/भोज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर साईस/इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि 4. DOEACC सोसाइटी, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा।)

नम्र
देव
वर-1
Sany

सं.क्र.	सेवा/पद का नाम	आयु		सीधी भर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/ तकनीकी अर्हताएं (शासन से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ बोर्ड/ मण्डल/ परिषद/ संस्थान से उपाधि/ प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे)
		न्यूनतम	अधिकतम	
1	2	3	4	5
11	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	18	35	(1) मान्यता प्राप्त मण्डल से 12वीं/ हायर सेकेंडरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा (2) 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा। (3) डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/ प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एण्ट्री की 8000 की-डिप्रेशन प्रतिघटा की गति। (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)। (4) मान्यता प्राप्त मण्डल/ संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन गति 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) का प्रमाण पत्र। (1). मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. से कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्राम असिस्टेंट व्यवसाय में एक वर्षीय डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट (2). मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन/ राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर साईंस/ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी/ मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा (2 वर्ष का अनूपन) (3). वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ डिग्री यूनिवर्सिटी/ इंद्रिया गांधी मुक्त विश्वविद्यालय/ भोज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर साईंस/ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी/ कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि (4). DOEACC सोसाईटी, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा।)
12	लेखा सहायक	20	35	(1) वाणिज्य विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि। (2) वांछनीय योग्यता:- कम्प्यूटर का ज्ञान, लेखा संबंधी ज्ञान, टेली साफ्टवेयर का अनुभव होना चाहिए।

अग्ररक्ष
 देव
 प्रिय
 अ

सं.क्र.	सेवा/पद का नाम	आयु		सं.क्र.
		न्यूनतम	अधिकतम	
1	2	3	4	5
13	सहायक ग्रेड-3	18	35	(1) किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र तथा (3) कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति की कौशल परीक्षा ली जाएगी)। (4) मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन गति 5000 की (झमल) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) का प्रमाण पत्र। (1. मान्यता प्राप्त आईटीआई से कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्राम असिस्टेंट व्यवसाय में एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट 2. मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन/राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर साईंस/इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी/मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा (2 वर्ष का अन्यून) 3. वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी/इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय/भोज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर साईंस/इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि 4. DOEACC सोसाईटी, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा।)
14	स्टोर कीपर	18	35	(1) किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र तथा (3) कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति की कौशल परीक्षा ली जाएगी)। (4) मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन गति 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) का प्रमाण पत्र।

वर्मा

दाम

श्री

वर- ६

सं.क्र.	सेवा/पद का नाम	आयु		सीधी भर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/तकनीकी अर्हताएं (शासन से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/मण्डल/परिषद/संस्थान से उपाधि/प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे)
		न्यूनतम	अधिकतम	
1	2	3	4	5
15	स्टेनो टाइपिस्ट	18	35	(1) मान्यता प्राप्त मण्डल से 12वीं (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैंड) में 60 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) (3) डाटा एंट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र तथा डाटा एंट्री की 5,000 की-डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)। (4) मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन गति 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) का प्रमाण पत्र। (1. मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. से कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्राम असिस्टेंट व्यवसाय में एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट 2. मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन/राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर साईंस/इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी/मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा (2 वर्ष का अन्वून) 3. वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डिग्रेड यूनिवर्सिटी/इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय/भोज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर साईंस/इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि 4. DOEACC सोसाइटी, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा।)
16	वाहन चालक	18	35	1. आठवीं कक्षा उत्तीर्ण। 2. हल्के वाहन चलाने का वैध ड्रायविंग लायसेंस। 3. वाहन चलाने का 02 वर्ष का अनुभव।
17	ग्राउन्ड मैन	20	35	शारीरिक शिक्षा विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि।
18	प्रयोगशाला सहायक	20	35	शिक्षा विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि।
19	ग्रंथालय सहायक	20	35	ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि।
20	लैब अटेंडेंट/प्रयोगशाला परिचारक	18	35	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण।
21	भूतल	18	35	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था से कक्षा पांचवी उत्तीर्ण।
22	बुक लिफ्टर	18	35	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था से कक्षा पांचवी उत्तीर्ण।
23	ग्राउन्ड मैन	18	35	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था से कक्षा पांचवी उत्तीर्ण।
24	पम्प अटेंडेंट	18	35	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था से कक्षा पांचवी उत्तीर्ण।
25	माली	18	35	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था से कक्षा पांचवी उत्तीर्ण।
26	स्वीपर	18	35	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था से कक्षा पांचवी उत्तीर्ण।
27	फर्नीचर/जमादार/स्वीपर	18	35	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था से कक्षा पांचवी उत्तीर्ण।
28	चौकीदार	18	35	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था से कक्षा पांचवी उत्तीर्ण।
29	हेल्पर	18	35	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था से कक्षा पांचवी उत्तीर्ण।

टीप :- उपरोक्त समस्त पदों में सीधी भर्ती के लिए राज्य शासन के सामान्य, प्रशासन विभाग/उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अर्हताओं में समय-समय पर संशोधन किये जाने पर यथावत लागू होंगे।

अर्ह
Kam
वृ- 5
Bisaf

“अनुसूची-तीन”

क्र.	सेवा या पद का नाम, जिस पर पदोन्नति किया जाना हो	कुल स्वीकृत पदों की संख्या	पदोन्नति वाले पद का वर्तमान वेतनमान एवं अनुसार वेतनमान एवं ग्रेड पे	सेवा या पद का नाम, जिसमें से पदोन्नति किया जाना हो	कॉलम 2 में उल्लेखित पद में पदोन्नति हेतु कॉलम 5 में उल्लेखित सेवा या पद में अनुभव की न्यूनतम कालावधि	चयन/विभागीय पदोन्नति समिति
1	2	3	4	5	6	7
1	कक्ष अधिकारी	4	9300-34800+4400	कुलपति के निज सहायक / वरिष्ठ अधीक्षक / कार्यालय अधीक्षक / कार्यालय प्रबंधक	5 वर्ष	1. कुलसचिव/उप-कुलसचिव – अध्यक्ष 2. वित्ताधिकारी – सदस्य 3. उप-कुलसचिव/सहायक कुलसचिव (प्रशासन) – सदस्य 4. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधि – सदस्य (उपरोक्त बिंदु 1, 2, 3 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो संबंधित वर्ग के लिए पृथक से प्रतिनिधि के नामांकन की बाध्यता नहीं होगी) 5. महिला प्रतिनिधि – सदस्य (उपरोक्त बिंदु 1, 2, 3, 4 में महिला प्रतिनिधि होने पर पृथक से महिला प्रतिनिधि के नामांकन की बाध्यता नहीं होगी)
2	कुलपति के निज सहायक	1	9300-38800+4300	स्टेनोग्राफर	5 वर्ष	तदैव
3	वरिष्ठ अधीक्षक / कार्यालय अधीक्षक	4	9300-38800+4300	सहायक ग्रेड-1 / कनिष्ठ अधीक्षक	5 वर्ष	तदैव
4	कार्यालय प्रबंधक	2	9300-38800+4300	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	15 वर्ष	तदैव
5	कनिष्ठ अधीक्षक	2	9300-34800+4200	लेखा सहायक	10 वर्ष	तदैव
6	स्टेनोग्राफर	3	5200-20200+2800	स्टेनो टाइपिस्ट (01 पद पर पदोन्नति स्टेनोग्राफर की योग्यता होने पर)	10 वर्ष	तदैव
7	सहायक ग्रेड-1	7	5200-20200+2800	सहायक ग्रेड-2	5 वर्ष	तदैव
8	पुस्तकालय सहायक	1	5200-20200+2800	पुस्तकालय सहायक / संसाधन केन्द्र समन्वयक	5 वर्ष	तदैव
9	पुस्तकालय सहायक / संसाधन केन्द्र समन्वयक	1	5200-20200+2400	ग्रंथालय सहायक	5 वर्ष	तदैव
10	प्रयोगशाला समन्वयक	1	5200-20200+2800	प्रयोगशाला सहायक	10 वर्ष	तदैव
11	सहायक ग्रेड-2	8	5200-20200+2400	सहायक ग्रेड-3 / स्टोर कीपर	5 वर्ष	तदैव

अग्र

dem

av-1 Jay

क्र.	सेवा या पद का नाम, जिस पर पदोन्नति किया जाना हो	कुल स्वीकृत पदों की संख्या	पदोन्नति वाले पद का वर्तमान 6वां पुनरीक्षित वेतनमान अनुसार वेतनमान एवं ग्रेड पे	सेवा या पद का नाम, जिससे से पदोन्नति किया जाना हो	कॉलम 2 में उल्लेखित पद में पदोन्नति हेतु कॉलम 5 में उल्लेखित सेवा या पद में अनुभव की न्यूनतम कालावधि	चयन/विभागीय पदोन्नति समिति
1	2	3	4	5	6	7
12	सहायक ग्रेड-3	45	5200-20200+1900	विश्वविद्यालय स्थापना में स्वीकृत 6वां पुनरीक्षित वेतनमान अनुसार 5200-20200+1800 एवं 5200-20200+1300 वाले चतुर्थ श्रेणी के समस्त/समकक्ष पद (सहायक ग्रेड-3 के कुल स्वीकृत पदों में से अधिकतम 25 प्रतिशत पदों पर चतुर्थ श्रेणी से सहायक ग्रेड -3 के पदों पर पदोन्नति के लिये सहायक ग्रेड-3 पद के लिये निर्धारित शैक्षणिक योग्यता/अर्हता रखने वाले कर्मचारी ही पदोन्नति के पात्र होंगे। योग्यता/अर्हता पदोन्नति किये जाने के पूर्व का होना अनिवार्य होगा।	5 वर्ष	तदैव

नोट:- सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के लिये निर्धारित पदों के लिये पृथक-पृथक आरक्षण रोस्टर (शासन के नियमानुसार) संचारित किया जायेगा।

अ.प्र.

दस्तावेज

वर-1